बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3 / कृ0 बजट–आवंटन–15 / 2013– 128 (आवंटन) / कृ0, पटना, दिनांक 21-08-2013

Fax/Mail प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य किसान आयोग को सहायक अनुदान मद में 100.00 लाख रू० (एक करोड़ रू०) की स्वीकृति तथा किसान आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों को प्रतिमाह देय नियत वेतन 25,000 रूपये से बढाकर 70,000 रूपये प्रतिमाह करने एवं बढ़े हुए दर पर नियत वेतन भुगतान दिनांक–01.04.2013 से अनुमान्य करने की स्वीकृति के फलस्वरूप शेष व्यय हेतु कुल ₹35,00,000 (पैंतीस लाख रू०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–2323 दिनांक–29.04.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य किसान आयोग को सहायक अनुदान मद में 100.00 लाख रू० (एक करोड़ रू०) की स्वीकृति तथा किसान आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों को प्रतिमाह देय नियत वेतन 25,000 रूपये से बढ़ाकर 70,000 रूपये प्रतिमाह करने एवं बढ़े हुए दर पर नियत वेतन भुगतान दिनांक–01.04.2013 से अनुमान्य करने की स्वीकृति हुई है। पूर्व में विभागीय पत्रांक–05 (आवंटन) दिनांक–03.05.2013 द्वारा ₹33,00,000 (तेतीस लाख रू०) मात्र एवं पत्रांक–85 (आवंटन) दिनांक–06.08.2013 द्वारा ₹32,00,000 (बत्तीस लाख रू०) मात्र की राशि आवंटित की जा चुंकी है। इस स्वीकृत राशि से शेष व्यय हेतु कुल ₹35,00,000 (पैंतीस लाख रू०) मात्र राशि आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित ₹35,00,000 (पैंतीस लाख रू०) मात्र की राशि मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, मांग सं०–1–उपशीर्ष–0113–राज्य किसान आयोग, विपत्र कोड–P2401000010113 राज्य योजना; स्कीम कोड–AGR-5030 विषयशीर्ष–31 04–सहायक अनुदान वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपबंधित 100.00 लाख रू० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–7857 दिनांक–31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो / निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 21/8/13
(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 128 (आवंटन) / कृ0, पटना, दिनांक 21-08-2013

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुमन

(हस्ताक्षर) 21/8/13
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Prabhu dt-14.08.2013..doc

ज्ञापांक 128(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 21-08-, 2013

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार पटना/माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव कृषि के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, उद्यान/निदेशक, बामेति/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन कृषि विभाग, बिहार पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार; पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव, राज्य किसान आयोग बिहार पटना/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

सुमन

21/08/13

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Prabhu dt-14.08.2013..doc

95